भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 908

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

भू-जल दोहन का प्रभाव

908. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्राः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूजल के निरंतर हो रहे अत्यधिक दोहन की समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अति-दोहित, संकटग्रस्त और अर्ध-संकटग्रस्त भूजल ब्लॉकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक भूजल दोहन के प्रभावों का आकलन किया गया है और यदि हां, तो भूमि धंसने के ब्यौरे सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भूजल दोहन पर निर्भरता कम करने के लिए, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेष रूप से आर्द्रभूमि जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के पुनरुद्धार और कायाकल्प के माध्यम से, भूजल पुनर्भरण को गति देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन, 2025 के अनुसार, कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन 448.52 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) किया गया है, वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 407.75 बीसीएम और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247.22 बीसीएम आंका गया है। भूजल निष्कर्षण का चरण जो, वार्षिक भूजल निष्कर्षण और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन के अनुपात को दर्शाता है, 60.63 प्रतिशत आंका गया है। कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण में कृषि उपयोग की हिस्सेदारी लगभग 87 प्रतिशत है।

देश में 6,762 आकलन इकाइयों में से, जो कि सामान्यतः ब्लॉक/तालुका/मंडल/तहसील हैं, 730 आकलन इकाइयों को अति-दोहित, 201 को गंभीर, 758 को अर्ध-गंभीर, 4,946 को सुरक्षित और 127 को लवणीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अति-दोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर के रूप में वर्गीकृत आकलन इकाइयों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से यह ज्ञात होता है कि भूजल-संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण वर्ष 2017 में 431.86 बीसीएम की तुलना में बढ़कर वर्ष 2025 में 448.52 बीसीएम हो गया है। इसी अवधि के दौरान, भूजल निष्कर्षण का चरण 63.33% से घटकर 60.63% हो गया है, सुरक्षित आकलन इकाइयों का अनुपात लगभग 63% से बढ़कर 73.14% हो गया है और अति-दोहित आकलन इकाइयों का अनुपात लगभग 17% से घटकर 10.80% हो गया है।

सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2020 के दिशा-निर्देशों, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, के माध्यम से 19 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों, खनन और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं द्वारा भूजल निष्कर्षण को विनियमित किया जाता है। शेष 17 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का स्वयं का भूजल निष्कर्षण नियामक तंत्र है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा समय-समय पर भूजल-संसाधन का आकलन, भूजल-स्तर की मॉनिटरिंग, जलभृत मानचित्रण और जलभृत-प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का कार्य किया जाता है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म-सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। चूंकि जल राज्य का विषय है, अत: ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

(ग): भूमि का धंसना एक स्थानीयकृत घटना है जो भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी, भूजल-वैज्ञानिक और मानवजनित कारकों द्वारा प्रभावित होती है। संवेदनशील जलभृत प्रणालियों में, भूजल की निरंतर निकासी जलभृत सामग्री के संघनन का कारण बन सकती है और भू-धंसाव का एक कारण बन सकती है। वैज्ञानिक संस्थानों ने देश के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर धंसाव की सूचना दी है। हालाँकि, मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई व्यापक राज्य-वार आकलन नहीं किया है जिसमें भू-धंसाव के लिए, विशेष रूप से अत्यधिक भूजल निष्कर्षण को ही उत्तरदायी ठहराया गया हो।

(घ) और (ङ): जल के राज्य का विषय होने के कारण है। भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। हालाँकि, केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन, नीतिगत समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है। भूजल निष्कर्षण को विनियमित करने, सतत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने, भूजल पुनर्भरण में तेजी लाने और विशेष रूप से कृषि में भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए की गई प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

(i) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के तहत, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजनाओं का

कार्यान्वयन किया जा रहा है। जल निकायों का आरआरआर घटक मौजूदा जल निकायों की भंडारण क्षमता में सुधार करने, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने और उनकी सिंचाई क्षमता को फिर से बहाल करने के लिए उनके मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सूक्ष्म-सिंचाई को बढ़ावा देने और खेतों में जल-उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे भूजल के निष्कर्षण में कमी आती है और भूजल संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है।

(iii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जल की अत्यधिक खपत वाली धान की खेती के स्थान पर जल की कम खपत वाली वैकल्पिक फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) की एक उप-योजना फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण, मूल्य संवर्धन, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं में भी तेजी लाई जा रही है, जिससे कृषि में भूजल पर निर्भरता कम होने की संभावना है।

(iv) जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सात राज्यों की जल की कमी वाली 8,203 ग्राम पंचायतों में लागू की गई अटल भूजल योजना के माध्यम से सामुदायिक नेतृत्व वाली सहभागी भूजल प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। यह कार्यक्रम जल बजटिंग, फसल विविधीकरण और जल के कुशल उपयोग जैसे डिमांड साइड इन्टरवेंशन को बढ़ावा देता है।

(v) वर्ष 2019 में आरंभ किया गया जल शक्ति अभियान (जेएसए) एक वार्षिक मिशन-मोड अभियान है, जो जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों/तालाबों के पुनरुद्धार, जल के पुन: उपयोग व पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास और सघन वनीकरण पर केंद्रित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जेएसए के तहत विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से देश भर में 2 करोड़ से अधिक जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण से संबंधित कार्य किए गए हैं।

(vi) इन प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2024 में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल की शुरुआत की गई थी। यह पहल स्थानीय जल आवश्यकताओं के अनुरूप वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाओं के समुदाय-नेतृत्व वाले निर्माण को बढ़ावा देती है। इस पहल के तहत अब तक देश भर में 1.55 करोड़ से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है। इसके उपरांत, देश भर में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए 1 जून, 2026 को जल संचय जन भागीदारी-कैच द रेन (जेएसजेबी-सीटीआर) अभियान शुरू किया गया। वीबी-जी राम-जी कार्यक्रम के तहत, गंभीर

और अति-दोहित जिलों में जल संबंधी संरक्षण कार्यों के लिए कुल निधि का 65 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

(vii) भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का विकास / पुनरुद्धार किया गया है, जिनसे जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में योगदान मिला है।

(viii) इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जलभृत-प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले, भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली जलभृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नैक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

अनुलग्नक

"भू-जल दोहन का प्रभाव" के संबंध में दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 908 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जीडब्ल्यूआरए 2025 के अनुसार अति-दोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर (ओसीएस), सुरक्षित और लवणीय श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत आकलन इकाइयों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण												
क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	आकलन किए गए इकाइयों की कुल संख्या	सुरक्षित		अर्ध-गंभीर		गंभीर		अति-दोहित		लवणीय	
	राज्य		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	आंध्र प्रदेश	679	601	88.5	24	3.5	3	0.4	12	1.8	39	5.74
2	अरुणाचल प्रदेश	42	42	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	245	244	99.59	1	0.41	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	535	471	88.04	49	9.16	12	2.24	3	0.56	0	0
5	छत्तीसगढ़	146	120	82.19	21	14.38	5	3.42	0	0	0	0
6	गोवा	12	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	252	181	71.83	31	12.30	3	1.19	25	9.92	12	4.76
8	हरियाणा	143	31	21.68	15	10.49	6	4.20	91	63.64	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	26	26	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10	झारखंड	263	240	91.25	12	4.56	5	1.90	6	2.28	0	0
11	कर्नाटक	237	145	61.18	36	15.19	11	4.64	45	18.99	0	0
12	केरल	152	123	80.92	27	17.76	2	1.32		0	0	0
13	मध्य प्रदेश	317	221	69.72	64	20.19	6	1.89	26	8.20	0	0
14	महाराष्ट्र	359	306	85.24	40	11.14	5	1.39	7	1.95	1	0.28
15	मणिपुर	9	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	40	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	26	26	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	52	52	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	314	298	94.90	10	3.18	0	0	0	0	6	1.91
20	पंजाब	153	17	11.11	15	9.80	10	6.54	111	72.55	0	0
21	राजस्थान	302	36	11.92	27	8.94	23	7.62	213	70.53	3	0.99
22	सिक्किम	38	38	100	0	0	0	0	0	0	0	0

23	**तमिलनाडु**	313	121	38.66	61	19.49	23	7.35	103	32.91	5	1.60
24	**तेलंगाना**	620	473	76.29	105	16.94	19	3.06	23	3.71	0	0
25	**त्रिपुरा**	59	59	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**उत्तर प्रदेश**	836	563	67.34	171	20.45	48	5.74	54	6.46	0	0
27	**उत्तराखंड**	20	16	80	4	20	0	0	0	0	0	0
28	**पश्चिम बंगाल**	345	242	70.14	34	9.86	9	2.61	0	0	60	17.39
29	**अंडमान और निकोबार**	9	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**चंडीगढ़**	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव**	3	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**दिल्ली**	34	7	20.59	6	17.65	11	32.35	10	29.41	0	0
33	**जम्मू और कश्मीर**	149	149	100	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**लद्दाख**	18	17	94.44	1	5.56	0	0	0	0	0	0
35	**लक्षद्वीप**	5	4	80	1	20	0	0	0	0	0	0
36	**पुदुचेरी**	8	3	37.50	3	37.50	0	0	1	12.50	1	12.50
	कुल योग	**6762**	**4946**	**73.14**	**758**	**11.21**	**201**	**2.97**	**730**	**10.80**	**127**	**1.88**

नोट-

ब्लॉक-वार -अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छतीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप

तालुका-वार - गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी

मंडल-वार - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

जिले-वार - दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव

सघ राज्य क्षेत्र - चंडीगढ़

तहसील-वार -दिल्ली
